उपायुक्त कार्यालय, साहेबगंज
{जिला पंचायत शाखा}

(Email id- dproofficesbj@gamail.com)

–: आ दे श :–

निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखंड, राँची के अधिसूचना संख्या–395/पं0 राँची, दिनांक–19.02.2021 के निदेश के आलोक में 15वें वित्त आयोग के तहत् अनुबंध के आधार पर कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच किया जाना है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच हेतु उप विकास आयुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता में निम्न रूपेण पदाधिकारी एवं लिपिकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जिला पंचायत शाखा, में कार्यरत कर्मी का नाम एवं पदनाम	जाँच की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	1.श्री विजय कुमार दास, परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, साहेबगंज। 2.श्री अमरदीप सिंह बलहोत्रा, परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता, साहेबगंज	1.श्री दिलीप कुमार झा,प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, जिला लेखा कार्यालय, साहेबगंज 2.श्री उपेन्द्र कुंवर, लिपिक, जिला लेखा कार्यालय, साहेबगंज। 3.श्री निर्मल कुमार राम, लिपिक, 4.श्री रबिन्द्र कुमार मालतो, लिपिक,	20.10.2021 स्मय 10:30 बजे पूर्वाहन से	

उपरोक्त प्रतिनियुक्त कर्मी को निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होकर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को जाँच कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 829 / पं0,साहेबगंज,दिनांक – 16/10/2021

प्रतिलिपि – संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी चयनित कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.10.2021 निर्धारित तिथि व समय को जिला पंचायत कार्यालय, साहेबगंज में उपस्थित होकर अपना दस्तावेजों को जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को जिले के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– जिला लेखा पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड, राँची को पत्र सं0–395/दिनांक 19.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।